



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 332 राँची, गुरुवार 26 आषाढ 1936 (श०)
17 जुलाई, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

17 जुलाई, 2014

संख्या-8/रा.-02/2009/ 7216 /का.-- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के राजभाषा संवर्ग में भर्ती/प्रोन्नति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(क) यह नियमावली झारखण्ड राजभाषा संवर्ग नियमावली, 2014 कहलाएगी।
(ख) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं: जबतक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -
- (1) 'कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग;
 - (2) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधीन राजभाषा संवर्ग;
 - (3) 'सदस्य' से अभिप्रेत है राजभाषा संवर्ग के सदस्य;
 - (4) 'नियमावली' से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की राजभाषा संवर्ग नियमावली;
 - (5) 'आयोग' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, झारखण्ड लोक सेवा आयोग या झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग;
 - (6) 'सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;
 - (7) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्यपाल;
 - (8) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है - कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक निदेशक के संदर्भ में प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक के संदर्भ में झारखण्ड सरकार।
3. संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के पद सोपान, वर्गीकरण एवं नियुक्ति प्राधिकार:- राजभाषा संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों (कोटियों) के पद, उनका वर्गीकरण और नियुक्ति प्राधिकार निम्नवत् होंगे -

क्र. सं.	वर्तमान पदनाम	संपरिवर्तित पदनाम	वेतनमान	वर्गीकरण	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6
1	राजभाषा सहायक, श्रेणी-3/ राजभाषा सहायक, उर्दू (मूल कोटि)	कनिष्ठ अनुवादक (मूल कोटि)	PB-II 9300-34800, पे ग्रेड 4200	(समूह-ख) अराजपत्रित	प्रधान सचिव/ सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

2	राजभाषा सहायक, श्रेणी-2 (प्रोन्नति का प्रथम पदसोपान)	वरिष्ठ अनुवादक निदेशक (प्रोन्नति का प्रथम पदसोपान)	PB-II 9300-34800, पे ग्रेड 4600	(समूह-ख) अराजपत्रित	प्रधान सचिव/ सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
3	राजभाषा पदाधिकारी/ प्रमंडलीय राजभाषा अनुदेशक (प्रोन्नति का द्वितीय पदसोपान)	सहायक निदेशक (प्रोन्नति का द्वितीय पदसोपान)	PB-II 9300-34800, पे ग्रेड 5400	(समूह-ख) राजपत्रित	झारखण्ड सरकार
4	उपनिदेशक (प्रोन्नति का तृतीय पदसोपान)	उपनिदेशक (प्रोन्नति का तृतीय पदसोपान)	15600-39100, पे ग्रेड 6600 PB-III	(समूह-क) राजपत्रित	झारखण्ड सरकार
5	संयुक्त निदेशक (प्रोन्नति का चतुर्थ पदसोपान)	संयुक्त निदेशक (प्रोन्नति का चतुर्थ पदसोपान)	15600-39100, पे ग्रेड 7600 PB-III	(समूह-क) राजपत्रित	झारखण्ड सरकार

- नोट: 1. कनिष्ठ अनुवादक के पदों में कनिष्ठ अनुवादक, उर्दू के पद भी सम्मिलित हैं।
2. कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक निदेशक एवं संयुक्त निदेशक के पद मुख्यालय के लिये कर्णांकित हैं।

3. उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक का पद मुख्यालय सहित प्रत्येक प्रमंडलीय कार्यालय (राजभाषा प्रभाग) स्तर के लिये कर्णांकित हैं।
4. संवर्ग बल:- संवर्ग के प्रत्येक श्रेणी के पदों की कुल संख्या वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित है या की जाय।
5. पद सृजन:- संवर्ग के किसी श्रेणी के अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन अथवा प्रत्यर्पण आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा अपनाई जानेवाली विहित प्रक्रियानुसार किया जा सकेगा।
6. संवर्ग के मूल पद पर भर्ती की प्रक्रिया:-
 - (क) राजभाषा संवर्ग का मूल पद कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ अनुवादक (उर्दू) का होगा, जो झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित कर्मियों से भरा जाएगा।
 - (ख) संवर्ग में कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ अनुवादक (उर्दू) के पदों पर नियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधियाचना के आधार पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अपेक्षानुसार प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा।
 - (ग) प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम होंगे:-
 - (i) कनिष्ठ अनुवादक

प्रथम पत्र - (I) हिन्दी व्याकरण एवं रचना, संक्षेपण और निबंध - 50 अंक

(II) अंग्रेजी व्याकरण एवं रचना और निबंध - 50 अंक

द्वितीय पत्र - (I) अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद - 50 अंक

(II) हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद - 50 अंक
 - (ii) कनिष्ठ अनुवादक (उर्दू)

प्रथम पत्र - (I) उर्दू व्याकरण एवं रचना, संक्षेपण और निबंध - 50 अंक

(II) हिन्दी व्याकरण एवं रचना और निबंध - 50 अंक

द्वितीय पत्र - (I) हिन्दी से उर्दू में अनुवाद - 50 अंक

(II) उर्दू से हिन्दी में अनुवाद - 50 अंक

(घ) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव

1. शैक्षणिक योग्यता:

(i) सवर्ग की मूल कोटि 'कनिष्ठ अनुवादक' के पदों पर सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

(ii) सवर्ग की मूल कोटि 'कनिष्ठ अनुवादक (उर्दू)' के पदों पर सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में उर्दू या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या उर्दू में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में उर्दू या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या उर्दू में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

2. अनुभव:

(i) 'कनिष्ठ अनुवादक' के पद हेतु हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद-कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

(ii) सवर्ग की मूल कोटि 'कनिष्ठ अनुवादक (उर्दू)' के पद हेतु हिन्दी से उर्दू में और उर्दू से हिन्दी में अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या हिन्दी से उर्दू या उर्दू से हिन्दी में अनुवाद-कार्य का दो वर्षों का अनुभव।

(सवर्ग में पूर्व से कार्यरत कर्मियों की प्रोन्नति के संबंध में शैक्षणिक योग्यता उनकी नियुक्ति के समय निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही प्रभावी होगी।)

(ड) नियुक्ति हेतु आयोग की अनुशंसा:- आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अधियाचना के अनुसार मेधा क्रम में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा करेगा। इस सूची में मेधा क्रम के अनुसार कनिष्ठ

अनुवादक/कनिष्ठ अनुवादक (उर्दू) के पदों पर नियुक्ति प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी।

7. उम्र-सीमा:- प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को न्यूनतम उम्र-सीमा 22 वर्ष तथा अधिकतम उम्र-सीमा वही होगी जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित हो।

8. परीक्ष्यमान:- कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ अनुवादक (उर्दू) के नियुक्त कर्मियों की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से अगले दो वर्षों तक की होगी।

9. संपुष्टि: कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ अनुवादक (उर्दू) के कर्मियों की परीक्ष्यमान अवधि में सेवा तथा कार्यकलाप संतोषप्रद रहने पर ही उन्हें उस पद पर सम्पुष्ट किए जाएंगे।

10. संवर्ग में प्रोन्नति की प्रक्रिया: संवर्ग के मूल पद कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ अनुवादक (उर्दू) से संवर्ग के उच्चतर पदसोपानों में प्रोन्नति शत-प्रतिशत वरीयता- सह-योग्यता के आधार पर दी जायेगी।

11. कालावधि: संवर्ग में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिये कालावधि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रावधान के अनुरूप होंगे।

12. आरक्षण: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के प्रावधान वही होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अधीन निर्धारित हों।

13. प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन:-

क. संवर्ग के समूह-ख के पदों यथा वरिष्ठ अनुवादक निदेशक, सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नरूपेण गठित की जाती है-

(i)	प्रधान सचिव/सचिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग	अध्यक्ष
(ii)	उपसचिव वित्त विभाग	सदस्य
(iii)	उपसचिव/सचिव मानव संसाधन विकास विभाग	सदस्य

(iv) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी

सदस्य

(v) संयुक्त सचिव/उपसचिव (प्रभारी राजभाषा)
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

सदस्य

ख. संवर्ग के समूह-क के पदों यथा उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक के पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नरूपेण गठित की जाती है-

(i) सदस्य, राजस्व पर्षद

अध्यक्ष

(ii) प्रधान सचिव/सचिव
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

सदस्य

(iii) प्रधान सचिव/सचिव
कल्याण विभाग

सदस्य

(iv) अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव (प्रभारी राजभाषा)
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

सदस्य सचिव

(v) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी

सदस्य

14. वरीयता का निर्धारण:- कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ अनुवादक (उर्दू) के पद पर नियुक्त होनेवाले कर्मियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण झारखण्ड लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एतदर्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल में निर्धारित मेधा क्रम के अनुसार होगा एवं इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा यथानिर्धारित तथा समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधान लागू होंगे।

15. अनुशासनिक कार्रवाई:- अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 एवं राजपत्रित पदाधिकारियों के संदर्भ में असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1935 के प्रावधान लागू होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों/नियमों के द्वारा विनियमित होंगे।

16. संवर्ग के पदधारकों के कर्तव्य एवं दायित्व:- इस संदर्भ में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय के संकल्प ज्ञापांक सं. रा. स्था.-10/177-307, दिनांक 24.09.1977 तथा राजभाषा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 74/रा. ,दि. 09.01.1986 में निर्धारित मापदंड लागू होंगे।
17. संशोधन/शिथिल करने की शक्ति:- यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि संवर्ग में नियुक्त कर्मियों को इस नियमावली के किसी/किन्हीं नियम/नियमों को लागू करने से किसी विशेष मामले में अनुचित कष्ट है/होता है, तो वह उस मामले में प्रयोज्य नियम/नियमों में अन्तर्विष्ट किसी तथ्य के होते हुए भी अपने आदेश द्वारा यथा स्थिति, उस नियम या उन नियमों को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन जिसे वह आवश्यक तथा समीचीन समझे, वित्त विभाग के परामर्शोपरांत शिथिल/संशोधन कर सकेगी।
18. नियमावली निर्गत होने की तिथि से इस संवर्ग में पूर्व से शामिल सदस्य के पदनाम इस नियमावली में उल्लिखित पदनामों से अभिहित होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संतोष कुमार शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव।
